

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.4(15)शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 5-3-2021

:: परिपत्र ::

राज्य में संचालित 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय जो कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटिया योजना एवं विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए योजना में सम्मिलित किये जाने की निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। योजनाओं की अन्य शर्तें पूर्व में इन योजनाओं के संबंध में जारी आदेशों के अनुसार रहेंगी।

- बालिका प्रोत्साहन :- 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत राज्य स्तर पर कक्षा 12वीं में 8 सी.जी.पी.ए. (Cumulative Grade Points Average) या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना :- 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की कक्षा 10वीं में 9 सी.जी.पी.ए. या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली राज्य में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएँ योजनान्तर्गत चयन के लिए पात्र होंगी इस प्रकार प्रत्येक वर्ष राज्य में 2 बालिकाओं का चयन किया जायेगा।
- इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार :- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में अध्ययन करने वाली कक्षा 12वीं की विज्ञान संकाय की परीक्षाओं में 1. सामान्य, 2. अनुसूचित जाति, 3. अनुसूचित जनजाति, 4. अन्य पिछड़ा वर्ग, 5. अल्प संख्यक, 6. अति पिछड़ा वर्ग, 7. बी.पी.एल., 8. निःशक्त वर्ग (दिव्यांग) की बालिकाएँ जिन्होंने स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय में अध्ययन करते हुए 12वी. कक्षा की परीक्षा में 134 स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों की छात्राओं में से उक्त आठों वर्गों में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और प्राप्तांक 9 सी.जी.पी.ए. से अधिक हो उन आठ बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जायेगा।
- विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना :- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की कक्षा 10वीं में 9 सी.जी.पी.ए. या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की राज्य स्तर की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एक बालिका को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के

माहिद  
DCS  
9/3/21

ASPD-1  
B

08-03-21

13413

बाद स्नातक स्तर पर (चार वर्षीय) राजकीय खर्चे पर विदेश में अध्ययन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


भवदीय

मा.वि.सं.  
05.03.2011  
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
8. उप निदेशक, सांख्यिकी।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (मुख्यालय)।
11. रक्षित पत्रावली।

  
05.3.21  
(डॉ. रणवीर सिंह)  
विशेषाधिकारी-शिक्षा